संख्या : 384/छप्पन-2015-17/14

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 11 मार्च, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक/भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 998/ना0उ0/आप्स-36/2014, दिनांक 06-01-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक/भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति/विचार हेतु उपलब्ध कराये गये हैं :-

(1) नियमित सेवा में कार्यरत वे पायलट जिनके पास हॉकर 900 एक्स0पी0 वायुयान का पृष्ठांकन है, को समान रूप से रूपये 2.75 लाख की धनराशि विशेष भत्ते के रूप में अनुमन्य कर दी जाए।

(2) विंग कमां0 मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय जो हॉकर 900 एक्स0पी0 वायुयान के को-पायलट के रूप में कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक 4.00 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख कर दिया जाए।

(3) कैप्टन कमलेश्वर सिंह जो वर्तमान में रूपये 1.25 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक बढ़ाकर रूपये 2.00 लाख प्रतिमाह कर दिया जाए।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1422/छप्पन-2014-17/14, दिनांक 9-9-2014 द्वारा नियमित सेवा के पायलटों के वेतन/भत्तों के निर्धारण और संविदा सेवा के पायलटों के पारिश्रमिक की रैंज निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करते हुए इन दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन/भत्तों एवं पारिश्रमिक निर्धारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया गया है। उपर्युक्त प्रस्तर-1 में अंकित बिन्दु-1, 2 व 3 के प्रस्ताव में निहित भत्तों एवं पारिश्रमिक की बढ़ोत्तरी उक्त शासनादेश दिनांक 9-9-2014 द्वारा विहित दिशा-निर्देशों/सीमा के अन्तर्गत है अतएव शासनादेश दिनांक 9-9-2014 में विहित व्यवस्थानुसार और नागरिक उड्डयन निदेशालय के पत्रांक : 998/ना0उ0/आप्स-36/2014, दिनांक 06-01-2015 में किये गये प्रस्तावानुसार पायलटों के भत्तों/पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 384 (1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in